कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग दौसा

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बोली संख्या :– बोली सूचना संख्या – 1/2020–21
2. मद जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है :– कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की आपूर्ति
3. बोली की अनुमानित लागत ....1.56 लाख रू0..
4. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म/बोली दाता का नाम व डाक का पूरा पता..

   ....

   दूरभाष नंबर ....मोबाईल नम्बर...

   बोलीदाता का स्वामित्व का प्रकार (प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी) ....

5. बोली शुल्क राशि रूपये 200/– रसीद संख्या /डी.डी./बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक..................... के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. बोली प्रतिभूति राशि रू0 .... के बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संख्या ....

   दिनांक .... बैंक का नाम .... द्वारा जमा करवाई जा रही है।
7. बोली दाता /फर्म का GST नम्बर ....
8. फर्म/बोली दाता के पेन नंबर ....
9. बोली दाता/फर्म की ई–मेल आई.डी...
10. बैंक खाता संख्या का विवरण मय IFSC कोड ....
11. सामग्री/कार्य व्यवस्था के लिए प्रदाय दरें वित्तीय बोली में अंकित की गई हैं।
12. सामग्री/कार्य व्यवस्था की प्रदाय दरें एवं जीएसटी की राशि पृथक–पृथक दर्शाई गई हैं।
13. सामग्री एनेक्जर एफ मे दर्शाये गये तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही सप्लाई की जावेगी।
14. निम्न दस्तावेज संलग्न है –
    1. बोली शुल्क की जमा रसीद /डीडी/बैंकर्स चैक।
    2. अमानत राशि के डीडी/बैंकर्स चैक।
    3. फर्म का GST प्रमाण पत्र की प्रति।
    4. आयकर पेन नम्बर की प्रति।
    5. साझीदार फर्म होने की स्थिति में सभी साझेदारों के नाम व साझेदारी विलेख की प्रति। कम्पनी होने की स्थिति में कम्पनी रजिस्ट्रेशन व निदेशकों का विवरण।
    6. वार्षिक वित्तीय टर्नओवर की सीए से अंकेक्षित/प्रमाणित बेलेन्स शीट/P&L की कॉपी
    7. अनुलग्नक – **E To I**
15. बोली में वर्णित/अंकित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। उक्त शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। उनकी भी पालना करने के लिए सहमत हूँ।

दिनांकः–

बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग दौसा

Bid No.- 01/2020-21

Technical Bid Check List

कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की आपूर्ति

Sr. No.	Particulars	Enclosed (Yes/No)
1.	Bid Document fee	
2.	Bid Security detail	
3.	Self Attested copy of Registration Certificate of GST	
4.	Self Attested Copy of PAN Card	
5.	Constitution of the firm Whether proprietorship / Partnership/company. In case of Partnership firm Enclose Copy of Partnership deed & Partners Details In case of Company Registration Copy of the Company & Directors Details	
6.	C.A. Audited/certified Balance sheet/trading / P & L copy of last two year for annual turnover	
7.	Annexure-E	
8.	Annexure-F	
9.	Annexure-G	
10.	Annexure-H	
11.	Annexure-I	
12.	Self Signed of Bidder in all pages of Bid Documents	
13.	Bank account Detail	

नोटः– तकनीकी बिड के सभी कॉलम की पूर्ति करना आवश्यक है जिसके अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी। सफल तकनीकी बिड की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

Signature of Bidder

Name and Address with Seal...........................

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग दौसा

कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की आपूर्ति की दरें

फर्म का नाम मय पता ....

SNO.	NAME OF ITEMS (As per Attached Item Technical Specification Details)	Quantity	BRAND NAME WITH MODEL NO.	RATES (F.O.R.)	GST	Total Rates
1	Desktop Computer	**2**				
2	Laser Printer (MFP)	**1**				

शर्ते–

1. सामग्री आपूर्ति के समय लागू जीएसटी की दरे मान्य होगी।
2. दरों की तुलना दर व जीएसटी के योग पर की जावेगी। जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम में पंजीकृत बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर जीएसटी सहित मानी जायेगी।
3. कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की आपूर्ति एनेक्जर एफ मे दर्शाये गये तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(अनुलग्न–E)

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग दौसा

बोली की शर्ते :–

1. तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली दो अलग अलग सील बन्द लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी – तकनीकी बोली के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं स्केनर की आपूर्ति हेतू तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की आपूर्ति हेतू वित्तीय बोली अंकित करना होगा एवं दोनो लिफाफे (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) एक सील बन्द लिफाफे मे रखकर कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की आपूर्ति हेतू तकनीकी एवं वित्तीय बोली अंकित करना होगा।
2. तकनीकी बोली :– इस लिफाफे में तकनीकी बोली की चैक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है जिसके अभाव में तकनीकी बोली निरस्त कर दी जायेगी। सफल तकनीकी बोली की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
3. वित्तीय बोली :– इस लिफाफे में निर्धारित दर प्रपत्र मे कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की आपूर्ति की दरें कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग खान भांकरी रोड दौसा अंकित करे जिसमे GST की राशि अलग से दर्शायी जावें।
4. सर्व प्रथम तकनीकी बोली खोली जावेगी तथा तकनीकी रूप से योग्य फर्मों की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
5. बोली प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित शुल्क राशि 200/– नकद जमा करवाकर कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग खान भांकरी रोड दौसा से दिनांक..........................को दोपहर 1:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
6. बोली दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.gov.in से भी डाउनलोड किये जा सकते है जिसके बोली शुल्क राशि 200/– का डीडी/बैकर चैक जो उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग दौसा के नाम देय होगा बोली के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. सील बन्द बोली दस्तावेज........................को दोपहर 2:00 बजे तक तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करवाया जाना आवश्यक है। निश्चित समय व तिथि के पश्चात् प्राप्त बोली मान्य नही होगी।
8. प्राप्त सील बन्द बोली दस्तावेज........................को दोपहर 3:00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
9. बोली के साथ बोली प्रतिभुति राशि का घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। अन्यथा बोली पर विचार नही किया जावेगा।
10. सफल बोली दाता को लागत का 2.5 प्रतिशत कार्य संपादन बोली प्रतिभुति राशि के रुप में डीडी/बैंकर चैक जमा कराना होगा जो उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग दौसा के नाम देय होगा।
11. L-1 फर्म का निर्धारण आइटम वाईज प्रस्तुत दरो के हिसाब से किया जायेगा। दरों के मूल्यांकन में GST को जोडकर गणना की जायेगी।
12. बोली शुल्क किसी भी स्थिति मे लौटाया नही जायेगा।
13. दर्शायी गई दरें अनुबन्ध अवधि से एक वर्ष तक के लिए वैध है। इसके आगे दरें परस्पर सहमति से ही बढाई जा सकेंगी।

14. किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की राशि काटी जावेगी।

15. फर्म का जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। बोली के साथ माल एवं सेवाकर रजिस्ट्रेशन (GST) प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी PAN की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

16. बोली प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

17. दर शब्दों एवं अंकों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं /या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर सील (फर्म की) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अकित राशि मान्य होगी।

18. तकनीकी बोली बोली प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर क्रम संख्या अंकित करनी होगी।

19. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जॉच करली हैं। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

20. विडदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

21. विशेष विवरण स्पेसीफिकेशन्स :–

1– प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित तकनीकी स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।

2– क्रेता अधिकारी का इस सम्बंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप हैं, किया गया निर्णय बोलीदाताओ के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

3– वारंटी एवं गारंटी का खंड–बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हे अनुमोदित कर दिया गया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (ताकि उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से संबन्धित समस्त उपबन्ध लागू होगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया हैं, बदल देगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमे दी गयी शर्ते के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमे दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

22. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में

कराया जाएगा तथा जहॉ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

23. **परीक्षण प्रभार** : परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगें।

24. **रद्द करना (Rejection)** :–

1– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नही की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

2– तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओ को बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

25. रद्द की गई वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 3 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके मद्दे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।

26. बोलीदाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र,रेल,सडक या वायुयान द्वारा परिवहनकी सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि ,क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

27. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता हैं।

28. बोलीदाता को उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

29. **सुपुर्दगी अवधि** : बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार आवश्यकता होने पर अविलम्ब अथवा अधिकतम सात दिवस में आपूर्ति करनी होगी। अवधि के भीतर सप्लाई करने की व्यवस्था करेगाः–

1– मात्रा की सीमा–आदेश फिर से देना : यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं, तो बोलीदाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी बोली में दी गई शर्तो पर दिए जा सकेगें, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (बोली सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगे यदि बोलीदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जाएगी। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही बोलीदत्त वस्तुओं की खरीद नही करता हैं या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

30. **बोली प्रतिभूति** : बोली के साथ, बोली सूचना अनुसार बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रा० नि० विभाग दौसा दौसा के पक्ष में शिडयूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जा सकती हैं।

1– **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय** :– असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटायी जाएगी।

2– **बोली प्रतिभूति से छूट** :– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान /जिला उद्योग केन्द्र मे लघु उद्योग इकाई के रुप में पंजीकृत हैं उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

3– केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

4– अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोली को पुनः आमंत्रित किया जाता हैं तो इस राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

31. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरणः बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहृत कर लिया जाएगा।

1– जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता या उसमे उपान्तरण (Modification) करता हैं।

2– जब बोलीदाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हों।

3– जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हों।

4– जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हों।

32. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit)**

1– सफल बोलीदाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराकर करार पत्र निष्पादित करना होगा।

2– बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को बोलीदाता के चाहे जाने पर कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।

3– बोली कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4– बोली कार्य निष्पादन राशि उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रा० नि० विभाग दौसा के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक की बैक गारंटी, शिडयूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जा सकती हैं:–

1. उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान /जिला उद्योग केन्द्र मे लघु उद्योग इकाई के रुप में पंजीकृत हैं उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे बोली के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी। अन्य के लिए यह अनुमानित लागत की की 5 प्रतिशत होगी।

6/

2. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगे। बोली कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण' बोली कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा।

1– जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

2– जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढग से करने में असफल रहा हों।

3– बोली प्रतिभूति राशि को समपहृत करने क मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

4– करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter Foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

33. दरें एफ.ओ.आर. कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग दौसा होगा एवं समस्त माल भाडा चुका कर भेजा जाएगा।

34. भुगतान :–

1– सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

2– उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगें।

35. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ठ समय को संविदों सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से वर्क ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

36. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा हैं :–

1– विहित सुपुर्दगी अवधि को एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

2– एक चौथाई अधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत

3– आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

4– विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

5– विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा

6– परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

7– यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसके द्वारा प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन **बाधा के घटित होने** पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

8– यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

37. <u>वसूलियां</u> : परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (लिकवीडेटेड

9/

डेमेज्स) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाऐगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

38. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता हैं जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा।किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हों।

39. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही हैं, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओ कि लिए बोलीदाता ने बोली दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार कराना बाध्यकारी नहीं होगा।

40. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा दौसा में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नही की जाएगी।

41. मैने सभी शर्तो का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्ते मुझे स्वीकार्य हैं।

42. बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक हैं।

43. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/ नियम 2013 का ज्ञान एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के नियम/शर्तो एवं बोली प्रपत्र में भिन्नता होने पर आरटीपीपी नियम एवं शर्ते मान्य होगे।

44. बालीदाता को दरें संलग्न दर प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है।

45. क्रय का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि को आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकता है।

46. बोली में संशोधन बोली जारी करने के उपरान्त http://sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर ही किये जायेगें। बोलीदाताओं द्वारा वेबसाईट पर संशोधन/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे का स्वीकार नहीं किया जायेगा।

47. उपरोक्त सामान की सप्लाई कार्यादेश में अंकित अवधि में ही आपूर्ति करना अनिवार्य है। अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जायेगी।

48. बोली प्रपत्र स्याही से भरा चायेगा या टंकित किया जायेगा पेंसिल से भरी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

49. बोली में दी गई दरों एवं जीएसटी के अतिरिक्त कोई प्रभार देय नही होगा ।

50. कार्य आदेश सूची अनुसार सामग्री आपूर्ति उपलब्ध करवानी होगी ।

51. क्रेता अधिकारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समय पर प्रदायकर्ता के विनिर्माण परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चित किया जावे, मालों, उपकरणों, मशीनों की सामग्री एवं कर्म– कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

52. परीक्षणो के मामले में बोली दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य/व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया जायेगा।

53. सामग्री आपूर्ति/व्यवस्था का कार्य समाप्ति पर बिल दो प्रतियो में प्रस्तुत करना होगा । सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा ।

54. बोली केवल कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही मान्य होगी।

55. बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग दौसा के पास सुरक्षित होगें और उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

56. बोली स्वीकृत किए जाने से पूर्व कार्यालय के अधिकारी द्वारा यह सत्यापन किया जा सकता है कि बोलीदाता को कार्य अनुभव है अथवा नहीं। फर्म/व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में तथा उपयोग योग्य सामान उपलब्ध है या नहीं।

57. निम्न दरों वाली बोली के स्थान पर अन्य बोली भी स्वीकृत की जा सकेगी। आदेश देने पर निर्धारित अवधि मे आपूर्ति नहीं कराये जाने पर धरोहर राशि जब्त करली जावेगी तथा अन्य व्यवस्था किये जाने पर हुई हानि की राशि बोलीदाता से वसूल की जायेगी।

58. टेण्डर खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नेगोशियेशन किया जा सकता है।

59. गंतव्य स्थानों पर सामान को निर्धारित समय पर पंहुचाने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।

60. किसी भी सम्भावित दुर्घटना होने पर यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पडता है , तो बोली दाता उस क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा ।

61. बोली दाता फर्म का पिछले 2 वित्तीय वर्षो का वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर कम से कम 10 लाख रुपये का होना अनिवार्य है जिसके लिए बोली दाता को सीए से अंकेक्षित/प्रमाणित बेलेन्स शीट/P&L की कॉपी लगाना अनिवार्य है।

62. बोली दस्तावेज शुल्क छूट :– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान /जिला उद्योग केन्द्र मे सुक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योग इकाई के रुप में पंजीकृत हैं उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रुप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली दस्तावेज शुल्क का आधा शुल्क जमा कराना होगा।

63. **सामग्री एनेक्जर एफ मे दर्शाये गये तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही सप्लाई की जावेगी।**

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

(अनुलग्न–F)

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग दौसा

Minimum Technical Specification Suggested by Dept. of IT&C for "Procurement of Computer Hardware and allied items for SI&PF Dept." are as Mentioned Below:

1. Desktop Computer System-

Item	Minimum Technical Specification
Processor	Intel i5/AMD Ryzen-5 (9th Generation/equivalent AMD) 6 Core, with minimum 3.0 GHz or higher (Base Frequency), 9 MB Cache or higher
Chipset	Compatible Intel/AMD Chipset
Operating System	Windows 10 Professional 64 bit preloaded with OEM recovery partition/Recovery DVD
Graphics	Integrated/Discrete Graphics Card
Memory (RAM)	8GB DDR4 2666 MHz or higher
Storage	1 TB 7200 RPM SATA Drive
Ports	Minimum 6 USB ports out of which Min 2 USB 3.0 or higher, 1-Display Port/HDMI, audio jack for headphone & mic
Display	Minimum 19.0" inch or higher HD Plus (Resolution 1600X900) or higher Display, TCO Certified
Antivirus	Preloaded (Latest Version) Internet Security of Trend Micro/Quick Heal/Symantec/Sophos/Kaspersky with 3 years subscription.
Certification	ROHS Compliance, BEE/Energy Star Certified, EPEAT Certified
Keyboard & Mouse	OEM USB Keyboard & OEM USB Mouse With Pad
Network Interface	Integrated 10/100/1000
Office	Open office updated version (freeware)
Accessories	All necessary cables (Power & data cables) to be included
Warranty	3 years comprehensive on site OEM warranty from date of Installation

2. Laser Printer (MFP)-

Item	Minimum Technical Specification
Type of machine	Multifunction Machine
Printing method	Monochrome laser
Printing Technology	Laser (Black)
Printer Speed	25 ppm
Input Tray Capacity	100 Pages or higher
Printer Resolution	600x600 dpi or higher
RAM Size/Memory	256 MB
Connectivity	On USB, Ethernet
Duty Cycle (Monthly)	10000 Pages
Auto Duplex Print for A4 or Legal	Yes
Functions	Print, Copy, Scan
Scanning feature	Yes
Scan Type/Technology	Flatbed with ADF
Scan file format	PDF, JPEG, TIFF, BMP etc.
Media size supported	A4, A5, Legal
Scan Speed	15 ppm or higher
Scan resolution	600x600 dpi or higher
Copy resolution	600x600 dpi or higher
Toner/Cartridge	Laser Black toner cartridge pre-installed
Wi-Fi	Yes
Energy Star	Yes
Compatible Operating System	Window 7, 8, 10 (32/64 Bit, Linux, Mac OS)
Cables/Accessories	All the required cables, Accessories
Software media	Driver & utility Software CD/DVD
BIS Registration	Yes
Other Certifications	UL, CE
Warranty	3 years comprehensive on site OEM warranty from date of Installation

9/

(अनुलग्न–G)

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग दौसा

बोलीदाताओ द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामग्री/व्यवस्थाओं के लिए बोली दी है, उनके/उनका/मैं/हम थोक विक्रेता/वितरक/विपणन एजेण्ट/सेवाप्रदाता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है ,पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है , रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)

5/

(अनुलग्न–H)

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग दौसा

फर्म द्वारा शपथ पत्र

मै/हम (फर्म का प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम) .... घोषणा करता/करते हैं कि हमारी फर्म .... को अथवा हमारी फर्म की किसी भी सामग्री को पूर्व में किसी विभाग/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्लेक लिस्टेड घोषित नहीं किया गया है। उक्त घोषणा पूर्ण सत्य एवं सही है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)

(अनुलग्न–।)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग दौसा

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना सत्य है। यदि असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रदद् कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)

तकनीकी बोली का तुलनात्मक विवरण पत्र
कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर की आपूर्ति

Sr. No.	Particulars		
1.	Bid Document fee		
2.	Bid Security detail		
3.	Self Attested copy of Registration Certificate of GST		
4.	Self Attested Copy of PAN Card		
5.	Constitution of the firm Whether proprietorship / Partnership/company. In case of Partnership firm Enclose Copy of Partnership deed & Partners Details In case of Company Registration Copy of the Company & Directors Details		
6.	C.A. Audited/certified Balance sheet/trading / P & L copy of last two year for annual turnover		
7.	Annexure-E		
8.	Annexure-F		
9.	Annexure-G		
10.	Annexure-H		
11.	Annexure-I		
12.	Self Signed of Bidder in all pages of Bid Documents		
13.	Bank account Detail		

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--

Name :---

In the capacity of :----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal --

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]